(a) whether it is a fact that due to negligent and indifferent attitude of the Air India management the entire catering service is being transferred to private parties ;

(b) whether it is also a fact that Cheffair flight catering was earning about Rs. 30 lacs p.m. and incurring about Rs. 17 lacs p.m. on its establishment etc. prior to handling over a part of flight catering to private parties ;

(c) if so, on what specific consideration such a profitable service is being transferred from Cheffair flight Catering Service to private parties ;

(d) whether Government would review its decision and instead of privatising the air catering services would consider to merge 'Cheffair' flight catering with Air India as was done in the case of Vayudoot-Indian Airlines merger and merger of National Airport Authority with International Airport Authority ; and

(e) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) to (e) Flight catering services to Aeroflot are being provided by Cheffair, an unit of Hotel Corporation of India. Income on this account was about Rs. 15.50 lakhs per month, including income worth Rs. 2.00 lakhs for supplying meals for charter flights and crew, Aeroflot has decided to shift the catering contract from Cheffair to another party for supplying meals for charter flights and crew; this decision has ben taken by Aerobot in their commercial judgement.

Cheffair flight catering unit is a part of Hotel Corporation of India, which is a wholly owned subsidiary of Air India. There is no proposal for merging it with Air India.

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा एयर टैक्सियों का चलाया जाना

3096. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) 30 नवम्बर 1993 तक कितनी गैर सरकारी कम्पनियों को एयर टैक्सियां चलाने की अनुमति दी गई :

(ख) इन एयरलाईन्स के नाम क्या क्या हैं तथा उनके साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) 30-11-1993 की स्थिति के अनुसार 17 आपरेटरों के पास हवाई टैक्सी प्रचालनों के लिए परमिट थे। विवरण संलग्न है (इन आपरेटरों को नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी किये गये) (समय समय पर यथासंशोधित) 1990 के ए. आई सी संख्या 24 के अधीन हवाई टैक्सी आपरेटर परमिट जारी किये गए है । इन आपरेटरों के साथ किसी भी करार पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

30-11-1993 की स्थिति के अनुसार अन्य 20 कम्पनियों ने हवाई टैक्सी आपरेटर परमिट की स्वीकृति हेतु आरंभिक प्रबंध करने के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया था जिसकी मंजूरी हवाई टैक्सी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही दी जा सकती है।

आपरेटर का नाम :

1. मैसर्स इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज
2. मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज
3. मैसर्स यू. बी. एवर प्रा. लि.
4. मैसर्स ट्रान्स भारत एविएशन
5. मैसर्स जैंगसन एयरलाइन्स
6. मैसर्स ईस्ट वैस्ट ट्रेवल्स
7. मैसर्स उडान रिसर्च एण्ड फलाइंग इन्सटिट्यूट
8. मैसर्स एरियल एविस प्रा. लि.
9. मैसर्स सराया एविएशन प्रा. लि.
10. मैसर्स दमानिया एयरवेज लि.
11. मैसर्स जैट एयरवेज प्रा. लि.
12. मैसर्स एम०जी० एक्सप्रैस
13. मैसर्स अर्चना एयरवेज लि.
14. मैसर्स राज एविएशन प्रा. लि.
15. मैसर्स मेगापोड एयरलाइन्स
16. मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स
17. मैसर्स सिटी लिंक एयरवेज